(35)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ जिला –अलवर

गुरमीतसिंह बनाम रणजीतसिंह

किस्म मुकदमा .... नं. 21/2041/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20.11.2019 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 24.12.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.11, 287 रकबा 0.19, 288 रकबा 0.24, 291 रकबा 0.05, 302 रकबा 0.15, 316 रकबा 0.02, 317 रकबा 0.04, 318 रकबा 0.04, 319 रकबा 1.90 हैक्ट0 कुल किता 9 रकबा 2.74 हैक्ट0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण रजिस्र्ड ए0डी0 से दिनांक 24.12..2019 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 24.12.2019 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर) 24/12/19 वादी के वकील/वकलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी .... पेश कि... 21 जनकार्य में व्यस्त नकल दिलाई गई। वास्ते .... तलबी .... 27.2.20 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.04.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट (राज० काश्तकारी अधि० 1955) व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार (खारिज) किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो शामिल (संलग्न) मूल वाद होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/151/2023

वउनवान

1. गुरमीत सिंह पुत्र स्व. जगतसिंह जाति रायसिक्ख हाल निवासी ए–9 सौरव विहार मैन रोड़ बदरपुर जैतपुर नई दिल्ली–44

------ प्रार्थी/सायल

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र स्व. जगत सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मालपुर हाल निवासी ख.नं. 494 ग्राउण्ड फलोर गुरूनानक सदन गुरूद्धारा सैक्टर ए पाकेट ए बसंत कुंज पश्चिम दिल्ली 0070
2. उप पंजीयक महोदय, गोविन्दगढ जिला अलवर।

------ अप्रार्थी/गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–
श्री सोहनपाल सैनी – अधिवक्ता सायल
श्री रामसहाय गुर्जर – अधिवक्ता गैरसायल

आदेश

दिनांक 15.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.11 है0, 287 रकबा 0.19 है0, 288 रकबा 0.24 है0, 291 रकबा 0.05 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 316 रकबा 0.02 है0, 317 रकबा 0.04 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 319 रकबा 1.90 है0 कुल किता 9 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ हाल तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसे आगे चल कर प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोंधित किया जा रहा है।

यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व तरतीबी प्रतिवादी की पैतृक आराजी है जो प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पिता स्व. जगतसिंह के देहांत के पश्चात मिली है और वादी व असल प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी में वादी, असल प्रतिवादी सं. 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार कानूनन जन्म से ही हक वो हिस्सा कायम है।

यह है कि प्रार्थी ने अपने 1/5 हिस्से की आराजी को अपने छोटे भाई प्रीतमसिंह को बटाई पर दे रखी है। और वादी हर 6 माह में अपनी बटाई की फसल या उसके बदले पैसे अपने भाई प्रीतमसिंह से लेता चला आ रहा है।

यह है कि अप्रार्थी सं. 1 जो कि चालाक व शातिर किस्म का व्यक्ति है, जिसने सं. 2058 में मिसल बंदोबस्त कर्मचारियों से साजबाज होकर रिकॉर्ड व मौके के खिलाफ अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित आराजी का 4/5 हिस्सा अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड में इंतकाल का अमल नही है तथा ना ही प्रार्थी/वादी ने असल प्रतिवादी सं. 1 के हक में कोई हक परित्याग किया, ना कोई दानपत्र किया ना ही कोई अन्य दस्तावेज निष्पादित कराया परन्तु असल प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर गलत प्रकार से विवादित आराजी के 4/5 हिस्से को अकेले अपने नाम दर्ज करवाया है।

यह है कि अब दिनांक 05.11.20219 को अप्रार्थी सं. 1 अपने साथ कुछ भू–माफिया किस्म के लोगों के साथ विवादित आराजी पर आया और विवादित आराजी के बेचान करने व किसी दीगर लोगों के हक में बयनामा तस्दीक करवाने की धमकी दी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैर सायल को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा 286 रकबा 0.11 है0, 287 रकबा 0.19 है0, 288 रकबा 0.24 है0, 291 रकबा 0.05 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 316 रकबा 0.02 है0, 317 रकबा 0.04 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 319 रकबा 1.90 है0 कुल किता 9 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ हाल तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में सायल के शांतमय कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें तथा उप पंजीयक महोदय को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के संबंध में कोई भी दस्तावेज तस्दीक ना करे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.11 है0, 287 रकबा 0.19 है0, 288 रकबा 0.24 है0, 291 रकबा 0.05 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 316 रकबा 0.02 है0, 317 रकबा 0.04 है0, 318 रकबा 0. 04 है0, 319 रकबा 1.90 है0 कुल किता 9 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ हाल तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। वादी/प्रार्थी ने सही तथ्य छुपाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व गुरनाम सिंह व संतोष पुत्री जगतसिंह ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड तर्कनामा(रीलीज डीड) दिनांक 24.09.1996 को जिल्द सं. 233 पृष्ठ सं. 42 क्रमांक 1823 के उप पंजीयक महोदय रामगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध करा दिया। और तर्कनामें के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रतिवादी सं. 1 के नाम का जर्ये नामान्तकरण सं. 606 दर्ज हो गया। और तब से लेकर आज तक अप्रार्थी सं. 1 बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और मोके पर आज भी काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार है।

यह है कि प्रार्थी शुद्ध हस्त से प्रार्थना पत्र लेकर नही आया है। उसका प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। वादी/प्रार्थी ने सही तथ्य न्यायालय से छिपाये है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है और बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और मौके पर आज भी काबिज है। रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार को प्रार्थी पाबंद कराने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम स्टेज पर खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम ग्राम मालपुर तह0 रामगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर संवत 2058 अनुसार हाल खसरा नं. 286, 287, 288, 291, 302, 316, 317, 318, 319 वाके ग्राम मालपूर क्रमशः साबिक खसरा नं. 229, 230, 231, 234, 244, 254, मिन सें बने है। प्रार्थी/वादी द्वारा पेश सजरा अनुसार मृतक जगत सिंह के 5 संतान गुरूनामसिंह, गुरमीतसिंह, रणजीत सिंह, प्रीतम सिंह, संतो बाई है। अप्रार्थी 1 द्वारा अपने जवाब प्रा0 पत्र के साथ पेश रजिस्टर्ड तर्कनामा (रीलीज डीड) दिनांक 24.09.1996 को जिल्द सं. 233 पृष्ठ सं. 42 अनुसार प्रार्थी गुरमीत सिंह स्वंय गुरनाम सिंह, संतोष पुत्र जगतसिंह द्वारा अपना 3/5 हिस्सा अप्रार्थी/प्रतिवादी रणजीत सिंह पुत्र जगतसिंह सिख निवासी ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ के हक में तर्क कर दिया। उसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

नामांन्तकरण दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वाके ग्राम मालपुर तहसील गोविन्दगढ़ के खसरा नं. 286, 287, 288, 291, 302, 316, 317, 318, 319 की वर्तमान प्रविष्ठिया दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में किसी रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2019 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर, बाद तकमील पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०

आज दिनांक 15.04.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०